राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– प.10(567) परि/स.सु./स्टेट काउंसिल/2015/26648 जयपुर, दिनांक :–03/01/17

मानीनय परिवहन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में गठित ''स्टेट रोड सेफ्टी कौंसिल'' की बारहवीं बैठक दिनांक 19.12.2016 का कार्यवाही विवरण

माननीय परिवहन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में **''स्टेट रोड सेफ्टी कौंसिल''** की बारहवीं बैठक दिनांक 19.12.2016 को शासन सचिवालय स्थित मुख्य भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुई। बैठक में अधिकारीगण तथा विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधिगण की उपस्थिति का विवरण परिशिष्ठ–1 पर संलग्न है। बैठक में सर्वप्रथम माननीय परिवहन मंत्री महोदय द्वारा राज्य में सड़क दुर्घटनाओं एवं इनसे कारित मृतकों की संख्या पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए बताया गया कि सड़क दुर्घटनाएं मृत्यु कारकों में सबसे बड़े कारणों में से एक है। अतः इस क्षेत्र में समस्त हितधारकों के समन्वित प्रयास से व्यापक कार्यवाही की नितान्त आवश्यकता है।

बैठक के एजेन्डा पर बिन्दुवार चर्चा की गई एवं विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् निम्नानुसार निर्णय लिए गए :–

1. अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 20.06.2016 को आयोजित गत बैठक के निर्णयों की क्रियान्विती पर संतोष व्यक्त किया गया तथा लीड एजेन्सी के संबंध में निम्न निर्देश जारी किए गए :–

   (i) उच्च शिक्षा, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति तत्काल की जावे।

   (ii) सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग हेतु पद सृजन/अन्य सुविधाओं की व्यवस्था शीघ्र कराई जावे।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के आदेश दिनांक 16.11.2016 की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु निम्न कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किए गए :–

   (i) राज्य की 7 सड़कों, जिनमें मृत्यु दर में वृद्धि हुई है, का सार्वजनिक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग एवं रोड सेफ्टी एक्सपर्ट की संयुक्त टीम द्वारा दुर्घटना/मृत्यु के कारणों के संबंध में सर्वेक्षण किया जाकर उनकी सिफारिशों के अनुसार दुरूस्तीकरण की रिपोर्ट, पुलिस से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सड़क सुरक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग की रिपोर्ट अपेक्षित है जो 31 दिसम्बर 2016 से पूर्व अनिवार्य रूप से सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ को प्रेषित की जावे।

   (ii) वर्ष 2016–17 हेतु काउंसिल द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना निर्देशानुसार समिति के समक्ष प्रस्तुत की जावे।

   (iii) जे.पी. रिसर्च द्वारा पॉयलेट प्रोजेक्ट के तहत जयपुर पूर्व में घटित सड़क दुर्घटनाओं के वैज्ञानिक अनुसंधान की माह अक्टूबर–नवम्बर 2016 की रिपोर्ट समिति के समक्ष निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की जावे।

   (iv) स्टेट रोड सेफ्टी पॉलिसी, जो राज्य मंत्रिमण्डल की आज्ञा दिनांक 07.12.2016 द्वारा अनुमोदित है, को दिनांक 31.12.2016 से पूर्व जारी करना सुनिश्चित किया जावे।

   (v) पृथक एवं समर्पित स्टेट रोड सेफ्टी फंड रूल्स दिनांक 31.12.2016 तक अधिसूचित किए जाएं।

   (vi) माननीय सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों की अनुपालना में समस्त रोड ओनिंग/ मैंनेजिंग एजेन्सीज (सार्वजनिक निर्माण विभाग, एन.एच.–सार्वजनिक निर्माण

विभाग, आर.ओ. – एन.एच.ए.आई., रिडकोर, आर.एस.आर.डी.सी.सी., यू.डी.एच., स्वायत्त शासन विभाग, जी.आर.ई.एफ., बॉर्डर रोड ऑर्गनाईजेशन एवं रीको के द्वारा) ब्लैक स्पॉट्स के दुरूस्तीकरण के संबंध में संशोधित प्रोटोकॉल तैयार कर दिनांक 31.12.2016 तक अनिवार्य रूप से सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ को भिजवाया जावे।

(vii) पुलिस विभाग द्वारा दुर्घटनाओं का वैज्ञानिक अनुसंधान दो श्रेणियों – ब्लैक स्पॉट्स के कारण घटित मृत्यु (23 प्रतिशत) एवं ब्लैक स्पॉट्स से भिन्न अन्य कारणों से घटित मृत्यु (77 प्रतिशत), में कराने की प्रणाली लागू की जाए। इस अनुसंधान के परिणामों के आधार पर आगामी वर्षों में वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जाये।

(viii) पुलिस एवं परिवहन विभाग की लाईसेंस निलम्बन एवं सड़क सुरक्षा शिक्षा तथा काउंसलिंग के संबंध में माह अक्टूबर से दिसम्बर, 2016 की त्रैमासिक रिपोर्ट समिति के निर्देशानुसार नए प्रारूप में प्रेषित की जाए।

(ix) अति. महानिदेशक यातायात, पुलिस द्वारा बताया गया कि समस्त जिलों से सिनेमाघरों में सड़क सुरक्षा लघु फिल्म/क्लिप दिखाने की पुष्टि की रिपोर्ट जिला कलक्टर्स एवं पुलिस आयुक्त, जयपुर एवं जोधपुर से प्राप्त हो गई है। परन्तु इसकी पालना सुनिश्चित करने हेतु समस्त जिला कलक्टर्स एवं पुलिस आयुक्त, जयपुर एवं जोधपुर को सिनेमेटोग्राफी एक्ट के तहत अधिसूचना जारी कर सिनेमाघर मालिकों को सड़क सुरक्षा फिल्म दिखाने हेतु बाध्य करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया।

3. बैठक में सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष 2016–17 हेतु प्रस्तुत 8.50 करोड़ रू. की कार्ययोजना का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। बैठक में उपस्थित स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों को परीक्षणोपरांत उचित पाये जाने पर इस वर्ष की कार्ययोजना में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। अनुमोदित कार्ययोजना निम्नानुसार है :–

1. प्रथम चरण की कार्ययोजना जिस पर अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है (राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि)

क्र.सं.	गतिविधि	कुल अनुमानित व्यय (लाखों में)
1.	व्यावसायिक वाहन चालकों को सुरक्षित चालन का प्रशिक्षण	15.60
2.	परिवहन विभाग के कार्मिकों हेतु ऑरियन्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम	4.79
3.	100 पुलिस अधिकारियों हेतु सड़क दुर्घटना अन्वेषण प्रशिक्षण कार्यक्रम	22.40
4.	रोड ओनिंग/मैनेजिंग एजेन्सीज के कार्मिकों हेतु सड़क सुरक्षा अंकेक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम	12.50
5.	हितधारक विभागों के कार्मिकों/एजेन्सीज़ हेतु प्राथमिक चिकित्सा सहायता प्रशिक्षण	7.14
6.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों हेतु एडवांस ट्रोमा केयर प्रशिक्षण	18.24
7.	राज्य के विद्यालयों के नामित शिक्षकों को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण	53.30
8.	रोड सेफ्टी ऑथोरिटी एक्ट पर वर्कशॉप	1.50
9.	सन बोर्ड (गुड सेमेरिटन) हिन्दी एवं अंग्रेजी में (3'2 Size)	31.20
10.	होर्डिंग (अपील)	3.20
11.	फोल्डेबल स्ट्रेचर	13.00
	कुल	**182.87**

2. द्वितीय चरण की प्रस्तावित कार्ययोजना
(राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि)

क्र.सं.	गतिविधि	कुल अनुमानित व्यय (लाखों में)
1	रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप खरीदने हेतु (पुलिस एवं परिवहन विभाग)	100.00
2	सेंटर फॉर रोड सेफ्टी(जयपुर), सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय (SPUP), जोधपुर द्वारा ट्रेफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिये प्रशिक्षण माड्यूल तैयार करना/ कॉलेज शिक्षक प्रशिक्षण	15.00
3	सड़क सुरक्षा को जन जन तक पहुँचाने हेतु विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा कैलेण्डर तैयार करना (सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)।	2.40
4	सड़क सुरक्षा सप्ताह/सड़क सुरक्षा सांस्कृतिक गतिविधियों/जागरूकता कार्यक्रमों/सड़क सुरक्षा IEC गतिविधियों एवं अन्य गतिविधियों हेतु (RTO/DTO)	122.30
5	विद्यालयों/महाविद्यालयों हेतु एवं अन्य सड़क सुरक्षा IEC मैटेरियल की प्रिन्टिंग हेतु।	152.39
6	सरकारी कार्यालयों/सार्वजनिक स्थलों/रेल्वे स्टेशन/बस स्टेण्ड इत्यादि पर आमजन की जानकारी हेतु पुलिस तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित गुड सेमेरिटन गाइड लाइन्स के प्रदर्शन हेतु सनबोर्डस	12.00
7	समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों में सड़क सुरक्षा सम्बंधित होर्डिंग लगाना	3.20
8	सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की सड़क सुरक्षा संबंधित गतिविधियों की कवरेज हेतु उपकरण (DLSR कैमरा, वीडियो कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर एवं लैपटॉप)	1.50
9	इलेक्ट्रोनिक/प्रिंट मीडिया का प्रचार प्रसार।	8.34
	कुल योग	**417.13**

3. आयोजना मद से प्राप्त राशि हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना

क्र.सं.	गतिविधि	कुल अनुमानित व्यय (लाखों में)
1	ब्लैक स्पॉट की साधारण कमियाँ दूर करने हेतु पुलिस थानों को बजट आवंटन हेतु	97.75
2	बसों के पैनल पर सड़क सुरक्षा संदेश के लिए विनायल शीट लगाने हेतु	6.00
3	हेलमेट/ सीट बेल्ट/ ओवर स्पीडिंग/ नशे में वाहन चलाने इत्यादि उल्लंघनों हेतु एडवोकेसी वर्कशॉप	99.00
4	सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ हेतु आई.ई.सी. मैटेरियल, लघु फिल्म इत्यादि	20.75
5	इलेक्ट्रोनिक/प्रिंट मीडिया द्वारा प्रचार प्रसार गतिविधियों हेतु	5.00
	कुल योग	**228.50**

4. उपरोक्त के अतिरिक्त बैठक में उपस्थित सदस्यगणों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर निम्न निर्णय लिए गए :–

   (i) नव निर्मित सड़क सुरक्षा निधि के व्यय हेतु एक्शन प्लान आगामी वित्तीय वर्ष से पहले तैयार किया जाए।

   (ii) पुलिस विभाग द्वारा निम्न गुणवत्ता (घटिया किस्म) के हेलमेट बेचने वालों/बनाने वालों के विरूद्ध सघन अभियान चलाया जाए।

(iii) जिलों में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली नवगठित स्वंय सेवी संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए एवं उनसे सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों हेतु सहयोग लिया जाये।

(iv) सड़क सुरक्षा जागरूकता के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए नीति बना कर वर्ष पर्यन्त कार्य किया जाए एवं मीडिया प्रसार की बजट परिसीमा बढ़ाई जाए।

(v) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के प्रत्येक बस स्टेण्ड पर सड़क सुरक्षा के संदेश का होर्डिंग प्रदर्शित किया जाए।

(vi) राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रति वर्ष जिला प्रशासन को टार्गेट दिया जाए एवं जवाबदेही तय की जाए।

(vii) सम्पूर्ण राज्य में निम्न गुणवत्ता वाले हेलमेट की बिक्री के खिलाफ थानेवार एक सप्ताह का अभियान चलाया जाए।

(viii) विद्यालयों में रोड सेफ्टी क्लबों को एक्टीवेट कर सड़क सुरक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए।

(ix) वर्ष 2015 की तुलना में 2016 में सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु दर वाले अजमेर, भरतपुर, उदयुपर रेंज में पुलिस, परिवहन एवं अन्य हितधारक विभागों के समन्वय से कार्यवाही की जावे जिनमें सड़क संरचना, परिवहन, प्रर्वतन के कार्य शामिल हों। इस संबंध में जिला एवं उपखण्ड स्तरीय यातायात प्रबंधन समितियों को निर्देश जारी किए जाएं।

(x) समस्त राजमार्गों से पालतू/आवारा/मृत पशुओं को हटाने के लिए कंसेशनर एग्रीमेंट में शर्त जोड़ी जाए।

(xi) पंचायती राज विभाग द्वारा समस्त अटल सेवा केन्द्रों पर सड़क सुरक्षा सम्बंधी संदेश लगाए जाए। इस हेतु सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग द्वारा सैम्पल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

(xii) पंचायती राज विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम सभा में सड़क सुरक्षा की चर्चा को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करने के संबंध में निर्देश जारी किए जाए।

(xiii) पंचायती राज विभाग के विज्ञापनों में जनहित में सड़क सुरक्षा का संदेश भी सम्मिलित किया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक समाप्त हुई।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त

क्रमांकः— एफ 10(567) परि/स.सु./स्टेट कौंसिल/2015/26669—81 जयपुर, दिनांक 03/01/17

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. उप सचिव (बी.सी.), माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त व सदस्य सचिव स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
13. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस, यातायात, राजस्थान, जयपुर।
14. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
15. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
16. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, जयपुर। ✓
17. निजी सचिव, मुख्य अभियंता (सड़क), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
18. मुख्य महाप्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, एन.एच.ए.आई, एफ—120, जनपथ, श्यामनगर, जयपुर।
19. नियंत्रक, स्टेट मोटर गैराज (ऑटो मोबाईल इंजिनियर), जयपुर।
20. निदेशक, सेंटर फॉर रोड़ सेफ्टी, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर, कैम्पस— एस—7, मोहन नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।
21. प्रतिनिधि, चार पहिया मोटर वाहन निर्माता।
22. प्रतिनिधि, दुपहिया पहिया मोटर वाहन निर्माता।
23. प्रतिनिधि, चार पहिया मोटर वाहन डीलर्स।
24. प्रतिनिधि, दुपहिया मोटर वाहन डीलर्स।
25. प्रतिनिधि, ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन।
26. प्रतिनिधि, स्टेट कैरिज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन।
27. प्रतिनिधि, कॉन्ट्रेक्ट कैरिज ऑपरेटर्स एसोसिएशन।
28. प्रतिनिधि, टैक्सी/ऑटो ऑपरेटर्स एसोसिएशन।
29. प्रतिनिधि, सम्भाग स्तर से सडक सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्था।
30. मैनेजिंग ट्रस्टी, सहायता संस्था, 297, तरूछाया नगर, टोंक रोड़, जयपुर।
31. मैनेजिंग ट्रस्टी, मुस्कान संस्था, 45, हरिकिशन सोमानी मार्ग, हथरोई, अजमेर रोड़, जयपुर।
32. जन सम्पर्क अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।
33. रक्षित पत्रावली।

उप परिवहन आयुक्त (स.सु.)